



बड़े हों या छोटे गरीब, अशक्त या हों बीमार आसानी से अब पहुँचेगी, बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार !



उत्तर प्रदेश के 3808 ग्राम पंचायतों में बी0सी0 सखी के रिक्तियों के सापेक्ष

आवेदन का आमंत्रण

(रिक्त 3808 ग्राम पंचायतों की सूची www.upsrlm.org/vaccantgp वेबलिंग पर उपलब्ध है)

प्राथमिकता : जिस भी ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह हैं, उनके सदस्यों को प्राथमिकता।

मोबाइल एप से आवेदन स्वीकार करने की अंतिम तिथि : **05 फरवरी, 2023**

(उपरोक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 3808 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा)



बैंकिंग कॉन्सिप्टेंट (बीसी) सखी क्या है-

- बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से सम्बद्ध किया हुआ है, के अन्तर्गत माइक्रो-एटीएम के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम।
- बी.सी. सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाना है।
- इससे न सिर्फ वित्तीय लेन-देन सुगम होगी बल्कि ग्रामीणों के काम-धन्धे में तेजी आएगी, समय और ऊर्ध्व में बचत होगी।
- बी.सी. सखी के माध्यम से सरकारी स्कीम-आधारित सखिडी, मजदूरी का भुगतान इत्यादि में रकम की आसानी से निकाली सम्भव होगी।
- हर तरह की आर्थिक लेन-देन, बैंक खातों में जमा एवं निकाली, जरूरी कारोबारों जैसे सुविधाएं हर ग्रामीण तक पहुंचेंगी।

बीसी सखी को लिए कौन आवेदन कर सकते हैं-

- ऐसी उद्यमी, गतिशील व महत्वाकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों।
- समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेष कर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हों, गरीब तथा वंचित वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिबद्ध हों।
- मोबाइल व टेक्नीलाजी आधारित काम करने व सीखने में रुचि रखती हों।
- न्यूनतम शिक्षा-10वीं उत्तीर्ण हों, उस-न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष हो।
- आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हों जहां के लिए आवेदन कर रही हों।
- कार्य के दिशा-दिशा में पूरे ग्राम पंचायत में श्रमण करने, घरों व व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हों।

बीसी सखी को लिए आवेदन कैसे करें -

- मूलतः प्ले स्टोर से UP BCSakhi मोबाइल एप डाउनलोड करें।
- आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल फोन नम्बर ही डालें ताकि एसएमएस OTP द्वारा सही सत्यापन हो सके।
- सभी सवालों के ईमानदारी से जवाब दें, गलत तथ्य या झामक उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जाएंगे।
- एक से ज्यादा बार आवेदन न करें। ऐसी स्थिति में सभी आवेदन अस्वीकार किये जायेंगे।
- किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए बीसी सखी कॉल सेंटर पर फोन करें : 0522-2724611



मूलतः प्ले स्टोर से
UP BCSakhi
एप डाउनलोड करें



अस्वीकार्यकरण: ग्राम्य विकास विभाग व राज्य मिशन ने इन आवेदनों के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को सम्बद्ध नहीं किया है न ही किसी भी मध्यस्थता की व्यवस्था की है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा कोई दावा करते हैं तो वे सर्वथा अमान्य हैं।

उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश